

क्रमांक:प. ()राजस्व-III/16/ 4348

दिनांक 13/12/2017

उप वन संरक्षक,
कोटा

विषय :-सेठ भामाशाह कृषि उपजमण्डी समिति(अनाज) कोटा के दक्षिण दिशा की ओर वन विभाग की भूमि में से 74 हेक्टर भूमि के आवंटन चाहने हेतु।
प्रसंग:-आपका पत्र सं० तक्र./2017-18/8325 दिनांक 5.7.2017


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में निम्न वर्णित 96 हेक्टेयर वन भूमि पर सेठ भामाशाह कृषि उपजमण्डी समिति(अनाज) कोटा (दक्षिण दिशा की ओर) का विस्तार प्रस्तावित है-

क्रम सं	नाम ग्राम	खसरा नं०	कुल रकबा (हे० में)	प्रस्तावित रकबा
1	अनन्तपुरा	284/316	136.97	30.465
		286	12.81	10.61
		287	26.75	25.445
		288	8.08	5.82
		योग	किता 8	96.00
2	उम्मेदगंज	499	2.12	1.33
		500	36.26	19.49
		501	3.02	2.84
		योग	किता 8	96.00

उक्त वन भूमि के बदले राजस्व विभाग के ग्राम गुरायता, तह० सांगोद की 96 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव विचारणीय हैं। अतः यदि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग की भूमि के स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को राजस्व विभाग के ग्राम गुरायता, तह० सांगोद, जिला कोटा के खसरा नं० 74 की 2.12 हे०, 75 की 3.22, 76 की 2.92, 78 की 5.18, 79 की 5.33, 80 की 5.43, 81 की 5.77, 82 की 2.68, 83 की 0.73, 94 की 4.39, 95 की 1.00, 100 की 1.94, 101 की 4.96, 102 की 0.36, 106 की 2.74, 107 की 5.68, 109 की 2.71, 110 की 6.55, 111 की 2.57, 114 की 6.44, एवं 474 की 1.28 हे० कुल किता 21 रकबा 74.00 हेक्टेयर व ग्राम बोरीनाखुर्द तह० सोगाद के खसरा नम्बर 174 रकबा 22 हेक्टेयर कुल रकबा 96 हेक्टेयर के उक्त वन भूमि के बदले वन विभाग को क्षतिपूर्ति हेतु स्थानांतरण/आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है, पूर्व सहमति प्रदान की जाती है।


भवदीय


जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक -12-2017

क्रमांक:प. ()राजस्व-III/16/

प्रतिलिपि:-सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) कोटा को उनके पत्र सं० 5069 दिनांक 6.12.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।


अतिरिक्त कलक्टर,
कोटा